भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4382 का उत्तर

सबरी रेल परियोजना में विलंब

4382. श्री हैबी ईडन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी) को उधार सीमा से छूट देने से इनकार करने से सबरी रेल परियोजना के समय पर क्रियान्वयन में बाधा आ रही है जबकि राज्य संशोधित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत साझा करने को तैयार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अंगमाली-सबरी रेल परियोजना की वित्तीय संरचना और लागत-साझाकरण के संबंध में हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से सबरी रेल परियोजना के लिए केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड के उधार को राज्य की उधार सीमा से छूट देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का केरल राज्य को विशेष रूप से सबरी रेल परियोजना जैसी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केआईआईएफबी के माध्यम से धन जुटाने हेतु विशेष छूट या लचीलापन प्रदान करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): एरुमेली के रास्ते अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन परियोजना को वर्ष 1997-98 में स्वीकृति दी गई थी। अंगमालि-कालडि (7 कि.मी.) और कालडि-पेरुम्बवूर (10 कि.मी.) पर

लंबे समय तक चलने वाले कार्य शुरू कर दिए गए थे। बहरहाल, भूमि अधिग्रहण और लाइन के संरेखण निर्धारण के विरुद्ध स्थानीय जनता के विरोध, परियोजना के विरूद्ध दायर अदालती मामलों और केरल राज्य सरकार से अपर्याप्त सहयोग के कारण इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

अनुमान की स्वीकृति और परियोजना की लागत साझा करने की सम्मति के लिए परियोजना की अनुमानित लागत को अद्यतन करके 3801 करोड़ रुपए किया गया है और दिसंबर, 2023 में केरल सरकार को जमा कर दिया गया है।

अगस्त, 2024 में केरल सरकार ने अपनी सशर्त सहमति में सूचित करते हुए यह उल्लेख किया है कि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा लिए गए ऋण को राज्य की उधार सीमा से पूरी तरह छूट दी जाए। रेलवे ने केरल सरकार से लागत में साझेदारी करने के लिए बिना शर्त सहमति देने का अनुरोध किया है।

केरल राज्य सरकार से इस परियोजना के लिए केरल राज्य सरकार, रेल मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का भी अनुरोध किया गया है।

यह परियोजना को आगे बढ़ाने का एक व्यवहारिक तरीका है।

बहरहाल, केरल राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3 जून, 2025 को रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में यह सूचित किया गया कि केरल राज्य सरकार त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं है।

केरल राज्य के मुख्यमंत्री के साथ हाल ही में हुई बैठक में, रेल मंत्री ने केरल सरकार से परियोजना की लागत के उनके 50% हिस्से से भूमि अधिगृहीत करने का अनुरोध किया। राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू होने के पश्चात् ही कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस व्यवस्था के साथ, केरल सरकार परियोजना को आगे बढ़ा सकती है।

जैसा कि निर्णय लिया गया था, रेल मंत्रालय के एक उच्चस्तरीय दल ने अपर सदस्य/निर्माण कार्य के नेतृत्व में केरल राज्य के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से दिनांक 29.07.2025 को मुलाकात की। केरल राज्य सरकार से इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था ताकि इस परियोजना को शुरू किया जा सके।

केरल:

केरल राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	372 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	3,042 करोड़ रु. (8 गुना से अधिक)

केरल राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। केरल राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति इस प्रकार है:

केरल राज्य में परियोजना हेतु आवश्यक कुल भूमि	476 हेक्टेयर
अधिगृहीत की गई भूमि	73 हेक्टेयर (15%)
शेष भूमि जिसका अधिग्रहण किया जाना है	403 हेक्टेयर (85%)

भारत सरकार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है, बहरहाल इनकी सफलता केरल सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए केरल सरकार को 2112 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यों में तेजी लाने के लिए केरल राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यों के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना के नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	शेष भूमि जिसका अधिग्रहण किया जाना है (हेक्टेयर में)
1.	अंगमालि - सबरीमाला नई लाइन (111 किलोमीटर)	416	24	392
2.	एरणाकुलम - कुम्बलम कहीं-कहीं दोहरीकरण (8 कि.मी.)	4	3	1
3.	कुम्बलम - तुरवुर कहीं-कहीं दोहरीकरण (16 कि.मी.)	10	9	1

4.	तिरूवनंतपुरम - कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 कि.मी.)	41	36	5
5.	शोरणूर- वल्लत्तोल दोहरीकरण (10 कि.मी.)	5	0	5

भारत सरकार द्वारा केरल राज्य में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। केरल राज्य से गुजरने वाले रेल नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए, निम्नलिखित सर्वेक्षण कार्यों को मंज़ूरी दी गई है:

क्र.सं.	मार्ग	लंबाई
1	मंगलुरु - शोरणूर तीसरी और चौथी लाइन	308 कि.मी.
2	शोरणूर- कोयंबटूर तीसरी और चौथी लाइन	99 कि.मी.
3	शोरणूर-एरणाकुलम तीसरी लाइन	107 कि.मी.
4	एरणाकुलम - कायनकुलम तीसरी लाइन	115 कि.मी.
5	कायनकुलम - तिरुवनंतपुरम तीसरी लाइन	105 कि.मी.
6	तिरुवनंतपुरम - नागरकोविल तीसरी और चौथी लाइन	71 कि.मी.

******